

सांस्कृतिक पहलुओं के दृष्टिगत आवश्यक सुझाव भी प्रस्तुत किया गए।

उच्च स्तरीय समिति सदस्य श्री नायडू द्वारा अवगत कराया गया कि यू.सी.सी. के क्रियाव्ययन के संबंध में समिति द्वारा उचित निर्णय लेकर राज्य शासन को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। इसमें सभी धर्म के लोगों समान अधिकार और कानून लागू करने की व्यवस्था है। पारंपरिक सांस्कृतिक व परम्परा पर इसके माध्यम से किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। जनपारमर्श बैठक में समान नागरिक संहिता के व्यापक प्रचार-प्रसार भी बर्चा हुई।